न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील जीसीएमएस **नम्बर 2020/00725**

1. रमेश गांधी पुत्र श्री के.सी.गांधी प्लाट नम्बर 4/18, शिवानन्द मार्ग, मालवीया नगर, जयपुर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त कलेक्टर वसूली, जयपुर कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, बनीपार्क, जयपुर।
2. उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 13.01.2016 न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर वसूली, जयपुर तहत उनवानी प्रकरण उप मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थय अधिकारी बनाम रमेश गांधी प्रकरण संख्या 1/2013–14 जिसके द्वारा प्रार्थी की धारा 8(3) राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस रिकवरी एक्ट के तहत पेश आपत्तियां खारिज फरमायी गई।

उपस्थित–

1. श्री विवेक शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पों. नं. 1 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक –26.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर वसूली, जयपुर के निर्णय दिनांक 13.01.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. अपील का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि न्यायालय अपर कलेक्टर(वसूली), जयपुर के द्वारा उपमुख्य के द्वारा उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) दौसा के पत्रांक पंक./कोर्ट केस/2014/134–37 दिनांक 07.02.2014 द्वारा रमेश गांधी पूर्व जिला प्रबंधक परिवार कल्याण ब्यूरो दौसा से कार्यालय किराया राशि मय ब्याज 8,09,902/रूपये की वसूली हेतु प्रकरण भेजा जाने पर प्रकरण भेजा जाने पर प्रकरण पीडीआर एक्ट की धारा 4 का प्रमाण पत्र जारी कर, धारा 6 का नोटिस दिनांक 06.05.2014 को जारी किया गया, जो बाकीदार को 28.05.2014 को प्राप्त हुआ, नोटिस प्राप्त होने पर बाकीदार ने 30 दिवसीय मियाद अवधि में दावाखंडन याचिका दिनांक 26.06.2014 को प्रस्तुत कर मुख्यतः निवेदन किया गया है कि किराया राशि राजकीय कार्यालय की है, जिसे सरकार द्वारा दिया जाना था। यह भवन सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा ही उपयोग में लिया गया है। भवन का चयन उच्चाधिकारियों के साथ किया गया था। भवन का किराया पीडब्लयूडी द्वारा निर्धारण किया जाना था। जिसके द्वारा अधिक किराया तय करने पर मेरे द्वारा आपत्ति की गई थी जिसके किराया जमां नहीं हुआ था। सरकारी कार्यालय का सरकारी अधिकारियो व कर्मचारियों द्वारा उपयोग जिला परिवार कल्याण ब्यूरो के संदर्भित कार्यालय का भवन का उपयोग जिला प्रबंधक, उप मु.चि.एवं स्वा0 अधिकारी, जन सम्पर्क अधिकारी, उप जन सम्पर्क अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, संगणक, लेखाकार, लिपिक, चपरासी एवं ड्राईवर के द्वारा किया गया राज्य सरकार की विकल्प परियोजना के अंतर्गत जिला परिवार कल्याण ब्यूरों कार्यालय हेतु राज्य सरकार व भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधक एवं शोध संस्थान (प्म्डत) के निर्देशों के उपरांत तत्कालीन संयुक्त निदेशक, जयपुर जोन मु.चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा ही उपरोक्त भवन की खोज कर उपरोक्त भवन में कार्यालय स्थापित करने के लिए मुझे

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिया गया था तदोपरान्त आहरण वितरण अधिकारी होने के नाते मुझे मकान मालिक से ही सिर्फ एग्रीमेंट करने को कहा गया था। मेरे द्वारा अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड दौसा को लिखे पत्र क्रमांक जि.प.क./ भवन / 95/1017 दिनांक 29–01–1997 से यह स्पष्ट है कि किराया तय करने के लिये न सिर्फ उचित प्रक्रिया अपनाई गई बल्कि पत्र की प्रति स्वास्थ्य निदेशालय में राज्य परिवार कल्याण संस्थान के मुख्य लेखाधिकारी को भी दी गई थी ताकि स्वास्थ्य विभाग को भी जानकारी दी जावे । उच्च अधिकारियों व जिला कलेक्टर को भी पूर्व में ही पूर्ण जानकारी क्योंकि यह भवन उच्चाधिकारियों द्वारा ही राज्य सरकार की परियोजना के लिये किराये पर लिया जा रहा था एवं इसका किराया निर्धारण किया जा रहा था इसकी पूर्ण जानकारी स्वास्थ्य विभाग में तथा जिला कलेक्टर दौसा को मेरे पत्र क्रमांक प.क./भण्डार/161/97/1618 दिनांक 04–03–1997 के द्वारा दी गई थी। जिला प्रबंधक परिवार कल्याण ब्यूरो द्वारा लिखित पत्र द्वारा यह साबित होता हैं मेरे (जिला प्रबंधक जि.प.क ब्यूरो दौसा) द्वारा 20–02–1997 को अधिशाषी अभियंता व सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा को लिखा पत्र क्रमांक क्रमांक प.क./भण्डार/161/97/539 द्वारा यह अनुरोध किया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किराया निर्धारण करते समय भूमि की कीमत लगभग 2000 प्रति वर्गगज ली गई थी जबकि जिला कलेक्टर के पत्र क्रमांक पंजीयन/96//2759 दिनांक 28–06–1996 के अनुसार कार्यालय भवन की भूमि की कीमत 8 गुणा ज्यादा ली गई थी जिससे किराया अधिक निर्धारित हुआ पाया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर (वसूली) शहर पूर्व जयपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.01.2016 द्वारा महालेखाकार निरीक्षण, परिवार कल्याण विभाग दौसा एवं जांच कमेटी द्वारा की गई दलीलों के अनुसार श्री गांधी द्वारा समय रहते किराया भुगतान की कार्यवाही नहीं करने से विभाग को ब्याज सहित राशि का भुगतान करना पडा जिसकी वसूली गांधी से किया जाना उचित होने से 8,09,902/–रूपये की वसूली के आदेश पारित किये गये।

3. अतिरिक्त कलेक्टर (वसूली) कलेक्ट्रेट जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 13.01.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री रमेश गॉधी पुत्र के.सी.गॉधी, प्लॉट नं0 4/18, शिवानन्द मार्ग, मालवीयनगर, जयपुर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त कलेक्टर (वसूली) कलेक्ट्रेट जयपुर दिनांक 13.01.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्याायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय अपर कलेक्टर (वसूली), जयपुर के द्वारा उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) दौसा के पत्रांक पंक./ कोर्ट केस/2014/ 134–37 दिनांक 07–02–2014 द्वारा रमेश गांधी पूर्व जिला प्रबंधक परिवार कल्याण ब्यूरो दौसा से कार्यालय किराया राशि मय ब्याज 8,09,902/– रूपये की वसूली हेतु प्रकरण भेजा जाने पर प्रकरण पी.डीआर एक्ट के तहत वसूली कार्यवाही हेतु दर्ज कर बाकीदार को वसूली हें पीडीआर एक्ट की धारा 4 का प्रमाण पत्र जारी कर धारा 6 का नोटिस दिनांक 06–05–2014 को जारी किया गया जो बाकीदार को 28–05–2014 को प्राप्त हुआ नोटिस प्राप्त होने पर बाकीदार ने 30 दिवसीय मियाद अवधि में दावाखंडन याचिका दिनांक 26–06–2014 को प्रस्तुत कर मुख्यत निवेदन किया गया हैं कि किराया राशि राजकीय कार्यालय की हैं जिसे सरकार द्वारा दिया जाना था। यह भवन सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा ही उपयोगं में लिया गया हैं। भवन का चयन उच्चाधिकारियों के साथ किया गया था। भवन का किराया पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारण किया जाना था। जिसके द्वारा अधिक किराया तय करने पर मेरे द्वारा आपत्ति की गई थी जिसके किराया जमा नहीं हुआ था। सरकारी कार्यालय का सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया

परिवार कल्याण ब्यूरों के संदर्भित कार्यालय भवन का उपयोग जिला प्रबंधक, उप मु.चि एवं स्वा० अधिकारी, जन सम्पर्क अधिकारी, उप जन सम्पर्क अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, संगणक, लेखाकार, लिपिक, चपरासी एवं ड्राईवर के द्वारा किया गया राज्य सरकार की विकल्प परियोजना के अंतर्गत जिला परिवार कल्याण ब्यूरों कार्यालय हेतु राज्य सरकार व भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधक एवं शोध संस्थान (प्म्डत) के निर्देशों के उपरांत तत्कालीन संयुक्त निदेशक, जयपुर जोन मु.चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा ही उपरोक्त भवन की खोज कर उपरोक्त भवन में कार्यालय स्थापित करने के लिए मुझे दिया गया था तदोपरान्त आहरण वितरण अधिकारी होने के नाते मुझे मकान मालिक से ही सिर्फ एग्रीमेंट करने को कहा गया था। मेरे द्वारा अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड दौसा को लिखे पत्र क्रमांक जि.प.क./भवन/95/1017 दिनांक 29–01–1997 से यह स्पष्ट है कि किराया तय करने के लिये न सिर्फ उचित प्रक्रिया अपनाई गई बल्कि पत्र की प्रति स्वास्थ्य निदेशालय में राज्य परिवार कल्याण संस्थान के मुख्य लेखाधिकारी को भी दी गई थी ताकि स्वास्थ्य विभाग को भी जानकारी दी जावे । उच्च अधिकारियों व जिला कलेक्टर को भी पूर्व में ही पूर्ण जानकारी क्योंकि यह भवन उच्चाधिकारियों द्वारा ही राज्य सरकार की परियोजना के लिये किराये पर लिया जा रहा था एवं इसका किराया निर्धारण किया जा रहा था इसकी पूर्ण जानकारी स्वास्थ्य विभाग में तथा जिला कलेक्टर दौसा को मेरे पत्र क्रमांक प.क./भण्डार/161/97/1618 दिनांक 04–03–1997 के द्वारा दी गई थी। जिला प्रबंधक परिवार कल्याण ब्यूरो द्वारा लिखित पत्र द्वारा यह साबित होता हैं मेरे (जिला प्रबंधक जि.प.क ब्यूरो दौसा) द्वारा 20–02–1997 को अधिशाषी अभियंता व सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा को लिखा पत्र क्रमांक क्रमांक प.क./ भण्डार/161/97/1539 द्वारा यह अनुरोध किया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किराया निर्धारण करते समय भूमि की कीमत लगभग 2000 प्रति वर्गगज ली गई थी जबकि जिला कलेक्टर के पत्र क्रमांक पंजीयन /96//2759 दिनांक 28–06–1996 के अनुसार कार्यालय भवन की भूमि की कीमत 8 गुणा ज्यादा ली गई थी जिससे किराया अधिक निर्धारित हुआ पाया गया। राजहित में मैंने यह आपत्ति उठा कर सार्वजनिक निर्माण विभाग का पुन निर्धारण कराने को पत्र लिखा व इसकी प्रति कलैक्टर दौसा को भी दे दी। आयुक्त एवं सचिव परिवार कल्याण द्वारा कार्यालय किराये बजट की स्वीकृति तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव परिवार कल्याण के कक्ष में दिनांक 31 जुलाई 1996 की हुई मीटिंग में भी अप्रैल 1996 से मार्च 1997 की अवधि के लिये जिला परिवार कल्याण ब्यूरो दौसा एवं टोंक के कार्यालयों के किराये के लिये क्रमश रुपये 1,50,000/–रूपयें एवं 84,000/– का बजट स्वीकृत किया गया था मेरा कार्यालय मार्च 1997 में समाप्त होने के उपरांत भी यह कार्यालय 08–5–1998 अर्थात 1 वर्ष 2–3 माह तक इसी भवन में चलता रहा था। उप मु. चि. अधि./14/भण्डार/98/3215–19 दिनांक 08–5–1998 में यह स्पष्ट है कि पूर्व में राजकीय भवन उपलब्ध नहीं था राजकीय भवन उपलब्ध होते ही दिनांक 08–1998 को उक्त कार्यालय राजकीय भवन में स्थानांतरित कर दिया गया मैं जिला परिवार कल्याण ब्यूरों दौसा में मार्च 1995 से मार्च 1997 तक जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थापित था इस दौरान मेरे द्वारा जो भी कार्य निष्पादित किये गये वह जिला प्रबंधक के पद पर क्षमता व हैसियत से ही किये गये हैं मेरी निजी क्षमता में नही अतः राज्य सरकार व चिकित्सा विभाग का प्रतिनिधि होते हए किये गये कार्यो के लिए मैं निजी रूप से भुगतान करने का जिम्मेंदार नहीं हूं। उक्त आपत्ति पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की आपत्ति अपने निर्णय दिनांक 13–01–2016 के द्वारा खारिज फरमायी गई। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का गलत अर्थान्वयन कर प्रार्थी की आपत्ति खारिज किये जाने में भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस रिकवरी एक्ट की धारा 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई विभिन्न

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रवर्तनीय पब्लिक डिमान्ड होने पर उक्त ऋण की वसूली के लिए अधिकृत अधिकारी इस आशय का मांग पत्र सम्बंधित कलेक्टर को पेश करेगा। उक्त मांग पत्र विहीत रीति (फार्म नम्बर 1 नियम 5) से भरकर पेश किया जावेगा जिसमें उक्त बकाया राशि, उसकी अवधि और व्यक्ति का नाम आज्ञापक रूप से भरे जावेगे। इस पर सम्बंधित कलेक्टर के द्वारा धारा 4 में कलेक्टर के विधिक आधारो पर इस बाबत संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त मांग राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस रिकवरी एक्ट के अधीन वसूली योग्य है, इस आशय का सर्टिफिकेट हस्ताक्षरित करेगा। उक्त सर्टिफिकेट सिविल न्यायालय की डिक्री के समान महत्ता रखने के कारण कलेक्टर के लिए यह आज्ञापक है कि वह उक्त सर्टिफिकेट को सामान्य प्रक्रम में ना भरकर इस बाबत प्रथतया अपनी सन्तुष्टि पर की उक्त वसूली बताये गये व्यक्ति से वसूलने योग्य है, तभी इस आशय के सर्टिफिकेट पर अपने हस्ताक्षर करेगा। प्रस्तुत प्रकरण में कोई विवेचन किये बिना एवं अपेक्षित सन्तुष्टी किये बिना उक्त वसूली नोटिस प्रार्थी के नाम जारी कर दिये गये। जो आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत होने से उक्त वसूली की समस्त प्रक्रिया प्रार्थी के विरूद्ध दूषित हो जाने से खारिज किये जाने योग्य है। जिसके बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस रिकवरी एक्ट की धारा 3 के अनुसार रेक्विजिशन प्राप्त होने पर कलेक्टर (वसूली) इस बात की सन्तुष्टी होने पर कि मांग इस एक्ट के तहत वसूली योग्य है तथा वसूली किसी प्रचलित कानून से बाधित नहीं है, प्रमाण पत्र पर आवश्यक इन्द्राजात वसूली राशि तथा अन्य विवरण अंकित करते हुए हस्ताक्षर करता है एवं निर्धारित पंजीका में पंजीबद्ध किया जाता है। राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस रिकवरी एक्ट की धारा 3 के तहत वहीं मांग वसूल योग्य है जो कि पब्लिक डिमाण्ड कि परिभाषा में आती है जैसी धारा धारा 2 (5) में परिभाषित की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा भेजे गए रेक्विजिशन सर्टिफिकेट में अंकित मांग किसी भी तरह से पब्लिक मांग की परिभाषा में नहीं आती है। ना तो यह मांग किसी करार के विघटन से प्रोद्भूत है, ना किसी संविदा भंग से, ना किसी दस्तावेज के तहत है ना ही गबन, न्यास भंग के तहत उत्पन्न है। सर्वप्रथम तथ्य तो यह है कि अपीलार्थी के द्वारा ना तो अपनी निजी हैसियत में कोई भवन किराये पर लिया गया और ना ही निजी कार्य हेतु कोई भवन किराये पर लिया गया। जिसके लिए अपीलार्थी को जिम्मेदार ठहराया जा सके। उक्त भवन को किराये पर लिये जाने के समय निष्पादित किरायानामे से भी प्रथम दृष्टया ही प्रकट और स्थापित होता है कि उक्त भवन को स्वयं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किराये पर लिया गया था। जिसका उपयोग–उपभोग भी उक्त विभाग के समस्त कर्मचारियों के द्वारा किया गया है। जिसकी पुष्टी भू–स्वामी के द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष दायर किये गये वादपत्र से भी होती है। जिसमें अपीलार्थी को पक्षकार के रूप में भी संयोजित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं उक्त प्रकरण में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपनी जवाबदेही में भी उक्त परिसर विभाग के द्वारा किराये पर लिया जाना स्वीकार किया है तथा इस बाबत अपीलार्थी के द्वारा किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरते जाने बाबत भी किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया है। वर्तमान में भी उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है। सिविल न्यायालय का अन्तिम निर्णय किसी भी विभागीय जाँच पर अधिमानता रखता है। अब विभाग अपने द्वारा किये गये कथनो से विपरीत कथन किये जाने से पूर्णतया विधितः एस्टोप्पड है। विभाग अपनी गलती के लिए अपीलार्थी को किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। जबकि अपीलार्थी के द्वारा अपने संक्षिप्त कार्यकाल में अनेको बार विभाग को किराये राशि का समुचित रूप से निर्धारण करने और किराया राशि का समय पर भुगतान किये जाने का लिखित में निवेदन किया है। इसलिए बिना किसी विधिक आधार के उक्त अदायगी का दायित्व किसी भी प्रकार से अपीलार्थी पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी जिला प्रबंधक के द्वारा सद्भावी रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2 विभाग के लिए कार्य किया है, जो भारतीय संविदा अधि0 1872 की धारा 186, 187, 188 के तहत विधिपूर्वक किये गये कार्य की श्रेणी में आता है, जिसके लिए मालिक विभाग स्वयं

जिम्मेदार है। इसलिए उक्त प्रकरण में प्रार्थी को व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। विभाग के प्रतिनिधी के रूप में सदभावनापूर्वक तथा निष्ठापूर्वक किये गये कार्यो में विभाग की लापरवाही के लिए प्रतिनिधी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि महालेखाकार निरीक्षण के अनु0सं0 (1) में जाँच दल द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूली हेतु प्रकरण न्यायालय में भेजा गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार ही नहीं किया। यहाँ तक कि दिनांक 12–01–2016 को दिये गये प्रार्थनापत्र को लेने से इन्कार कर दिया गया। जिसके सन्दर्भ में रेस्पोडेन्ट विभाग के अति० निदेशक (मिशन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं विशिष्ट शासन सचिव ने जिला कलेक्टर को अपने पत्रांक एन.एच.एम. 2016/92 दिनांक 21–01–2016 से तल्ख टिप्पणी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के कृत्य को न्याय संगत नहीं माना है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण व्यक्तिगत पूर्वाग्रहो से ग्रसित होकर पारित किया है, जो न्यायिक निर्णय की संज्ञा में नहीं आने से खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग ने वर्ष 1995 में अपनी महत्वाकांक्षी पायलेट प्रोजेक्ट विकल्प, जिसका मूल उद्देश्य जनसंख्या नियन्त्रण एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का गांवो में घर–घर तक प्रचार करना था, दो जिला दौसा और टोंक में प्रारम्भ किया किया। जिसका उदघाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भैरो सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। योजना के प्रबंधन के लिए विशेष सलाहाकार के रूप देश की प्रतिष्ठित संस्था 'स्वास्थ्य प्रबंधन एवं शोध संस्थान से अनुबंध किया गया। जिनके द्वारा लिखित प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार के बाद अपीलार्थी समेत दो व्यक्तियों का जिला प्रबंधक के रूप में चयन किया गया। दौसा जिले का गठन उन्हीं दिनों होने के कारण जिला परिवार कल्याण ब्यूरो के पास 15–18 व्यक्तियों के स्टॉफ के लिए पृथक से बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण दौसा जिले से समस्त स्टॉफ जयपुर से प्रतिदिन आया–जाया करता था। जिस पर जयपुर जोन के तत्कालीन संयुक्त निदेशक डॉ. बंसल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भाष्कर व तत्कालीन उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एम. एल. शर्मा के साथ कुछ भवन देखे व उनमें से एक भवन चुन कर जिला परिवार कल्याण ब्यूरो को उसमें स्थानान्तरित करने को कहा। जिस पर जिला कलेक्टर दौसा द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कराया गया तथा उपरोक्त वर्णित अधिकारियों के द्वारा समस्त स्टॉफ को किराये के भवन में स्थानान्तरित करवा दिया गया। इस हेतु तत्कालीन जिला प्रबंधक, अपीलार्थी को बताया गया कि उक्त भवन के किराये का निर्धारण पी.डब्लू. डी. विभाग के द्वारा किराया राशि का निर्धारण किया जावेगा, जिसके लिए विभाग की ओर से एक अस्थाई किरायेनामें (लीज डीड) का निष्पादन किया गया जिस पर अपीलार्थी ने मात्र बतौर जिला प्रबंधक अपने हस्ताक्षर किये गये। इस प्रकार उक्त भवन के चयन में अपीलार्थी का कोई व्यक्तिगत रूचि या निर्णय नहीं रहा। उक्त भवन किराये पर लिये जाने के बाद पी. डब्लयू.डी. विभाग के द्वारा किराया राशि निर्वतमान डी.एल. सी. रेट की 8 गुणा निधारित की गई। जो अत्यधिक होने के कारण अपीलार्थी ने इसका विरोध करते हुए विभाग और पी.डब्लयू.डी. विभाग से उक्त राशि का पुर्ननिर्धारण करने को कहा। लेकिन अपीलार्थी का कार्यकाल दो वर्ष का ही रहा तथा माह अप्रेल 1997 में अपीलार्थी को सेवा मुक्त कर दिया गया। उसके पश्चात भी लगभग एक वर्ष तक उक्त भवन में यह कार्यालय तब तक चलता रहा जब तक कि उसके पास स्वयं की व्यवस्था नहीं हो गयी। उक्त किराये का निर्धारण नहीं होने के कारण विभाग के द्वारा बिना किराये का भुगतान किये भवन को वर्ष 1998 में खाली कर दिया। जिस पर मालिक मकान ने न्यायालय में वाद पेश किया। जो वादी के पक्ष में तय किया गया। जिसका भुगतान वर्ष 2010 में विभाग के द्वारा किये जाने के पश्चात तीन वर्ष से भी अधिक अवधि के व्यतीत हो जाने पर भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण विभाग को 4,55,383/– रूपये का अधिक भुगतान करने का कथन किया। जिस पर एक कमेटी का गठन कर उक्त कमेटी के

द्वारा वर्ष 1995 से लेकर वर्ष 2010 तक की देरी के लिए एकमेव अपीलार्थी को जिम्मेदार ठहराया। इस प्रकार स्पष्ट है कि ना तो अपीलार्थी के द्वारा किराये के भवन का चयन किया गया और ना ही किराये का निर्धारण किया गया। इसलिए अपीलार्थी के सेवा से हटने के लगभग 16 वर्षों के बाद 8 गुणा दर से चुकाये गये समस्त किराये व उस देय ब्याज को चुकाये जाने का नोटिस अपीलार्थी को दिया जाना ना केवल कानून के विरूद्ध बल्कि सामान्य विवेक के न होने को भी दर्शित करता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो के बाबत कोई विवेचन किये बिना पारीत प्रश्नगत निर्णय सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के विरूद्ध मात्र विभागीय जाँच के आधार पर वसूली नोटिस जारी किया गया है। जबकि उक्त विभागीय जाँच अपीलार्थी के द्वारा विभाग से सेवामुक्ती के लगभग 16 वर्षो बाद बिना अपीलार्थी की आपत्तियों के समुचित निस्तारण के की गई है। जो विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध होने से पोषणीय ही नहीं है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उक्त विधि विरूद्ध कार्यवाही से प्रार्थी पर उक्त राशि की वसूली बाबत कोई उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बाबत कोई विवेचन किये बिना प्रश्नगत निर्णय पारित किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य हैं। यहाँ यह कथन किया जाना भी उचित होगा कि स्वयं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को इस बाबत पत्र लिखकर सूचित किया है कि प्रस्तुत प्रकरण के सम्बंध में उच्च अधिकारियो के द्वारा पुनः विभागीय जाँच की जा रही है इसलिए आप उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित ना करे। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभी तक उक्त वसूली के लिए स्वयं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिम्मेदार व्यक्ति के बाबत अन्तिम रूप से निर्धारण नहीं किया गया है। इसलिए बिना अन्तिम रूप से निर्धारण के और जाँच के लम्बित रहते पारित उक्त निर्णय खारिज किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निवेदन पर उक्त राशि का भुगतान राजस्थान पी. डी. आर. एक्ट के तहत वसूली हेतु प्रेषित करने पर दिनांक 11-09-2015 को नोटिस अन्तर्गत धारा प्रेषित किया गया। उक्त नोटिस के साथ धारा 4 व 5 के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न नहीं की गई है, जो कि आज्ञापक है । इस प्रकार आज्ञापक प्रावधानो की अनदेखी किये जाने से भी उक्त वसूली की कार्यवाही दूषित हो जाने से निरस्तनीय है। जिसके बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उक्त तथाकथित राशि वर्ष 1995 से तथा विभाग के द्वारा राशि प्रदान किये जाने के समय वर्ष 2010 से देय होने का कथन करते हुए उक्त राशि की वसूली के बाबत नोटिस जारी किया है। जबकि विधि का यह सुस्पष्ट अभिमत है कि तीन वर्ष से पुरानी राशि की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस प्रकार उक्त राशि कानूनी प्रावधानो के अनुसार भी वसूली योग्य नहीं होने के कारण उक्त कार्यवाही ड्रॉप किया जाना कानूनन आवश्यक है। आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी किये जाने से भी उक्त वसूली की कार्यवाही दूषित हो जाने से निरस्तनीय है। जिसके बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाग द्वारा जारी प्रमाण पात्र पीडीआर एक्ट की धारा 3 को सही पाया गया। बाकीदार/आपत्तिकर्ता की दावा खण्डन याचिका अस्वीकार की जाकर प्रकरण में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि किराया राशि राजकीय

संभागीय आयुक्त जयपुर

कार्यालय की हैं जिसे सम्बन्धित विभाग द्वारा दिया जाना था। यह भवन सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा ही उपयोग में लिया गया हैं। भवन का चयन उच्चाधिकारियों के साथ किया गया था। इकरारनामा बाबत लीज जिला प्रबन्धक परिवार कल्याण ब्यूरो दौसा एवं रमेशचन्द खण्डेलवाल पुत्र श्री मदनगोपाल खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी दौसा जिला दौसा के मध्य दिनांक 18.05.1995 को हुआ है। सरकारी कार्यालय का सरकारी अधिकारियो व कर्मचारियों द्वारा उपयोग जिला परिवार कल्याण ब्यूरो के संदर्भित कार्यालय का भवन का उपयोग जिला प्रबंधक, उप मु.चि.एवं स्वा0 अधिकारी, जन सम्पर्क अधिकारी, उप जन सम्पर्क अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, संगणक, लेखाकार, लिपिक, चपरासी एवं ड्राईवर के द्वारा किया गया राज्य सरकार की विकल्प परियोजना के अंतर्गत जिला परिवार कल्याण ब्यूरों कार्यालय हेतु राज्य सरकार व भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधक एवं शोध संस्थान (IIHMR) के निर्देशों के उपरांत तत्कालीन संयुक्त निदेशक, जयपुर जोन मु.चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा ही उपरोक्त भवन की खोज कर उपरोक्त भवन में कार्यालय स्थापित करने के लिए रमेश गांधी को दिया गया था। रमेश गांधी द्वारा अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड दौसा को लिखे पत्र क्रमांक जि.प.क./भवन/95/1017 दिनांक 29–01–1997 से यह स्पष्ट है कि किराया तय करने के लिये न सिर्फ उचित प्रक्रिया अपनाई गई बल्कि पत्र की प्रति स्वास्थ्य निदेशालय में राज्य परिवार कल्याण संस्थान के मुख्य लेखाधिकारी को भी दी गई थी ताकि स्वास्थ्य विभाग को भी जानकारी दी जावे। मेरे द्वारा अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड दौसा को लिखे पत्र क्रमांक जि.प.क./भवन/95/1017 दिनांक 29–01–1997 से यह स्पष्ट है कि किराया तय करने के लिये न सिर्फ उचित प्रक्रिया अपनाई गई बल्कि पत्र की प्रति स्वास्थ्य निदेशालय में राज्य परिवार कल्याण संस्थान के मुख्य लेखाधिकारी को भी दी गई थी ताकि स्वास्थ्य विभाग को भी जानकारी दी जावे । उच्च अधिकारियों व जिला कलेक्टर को भी पूर्व में ही पूर्ण जानकारी दी गयी क्योंकि यह भवन उच्चाधिकारियों द्वारा ही राज्य सरकार की परियोजना के लिये किराये पर लिया जा रहा था एवं इसका किराया निर्धारण किया जा रहा था इसकी पूर्ण जानकारी स्वास्थ्य विभाग में तथा जिला कलेक्टर दौसा को रमेश गांधी ने पत्र क्रमांक प.क./भण्डार/161/97/1618 दिनांक 04–03–1997 के द्वारा दी गई थी। जिला प्रबंधक परिवार कल्याण-ब्यूरो द्वारा लिखित पत्र द्वारा यह साबित होता हैं कि रमेश गांधी (जिला प्रबंधक जि.प.क ब्यूरो दौसा) द्वारा 20–02–1997 को अधिशाषी अभियंता व सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा को लिखा पत्र क्रमांक क्रमांक प.क./भण्डार/161/97/539 द्वारा यह अनुरोध किया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किराया निर्धारण करते समय भूमि की कीमत लगभग 2000 प्रति वर्गगज ली गई थी जबकि जिला कलेक्टर के पत्र क्रमांक पंजीयन/96// 2759 दिनांक 28–06–1996 के अनुसार कार्यालय भवन की भूमि की कीमत 8 गुणा ज्यादा ली गई थी। जिससे किराया अधिक निर्धारित हुआ पाया गया। आयुक्त एवं सचिव परिवार कल्याण द्वारा कार्यालय किराये बजट की स्वीकृति तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव परिवार कल्याण के कक्ष में दिनांक 31 जुलाई 1996 की हुई मीटिंग में भी अप्रैल 1996 से मार्च 1997 की अवधि के लिये जिला परिवार कल्याण ब्यूरो दौसा एवं टोंक के कार्यालयों के किराये के लिये क्रमश रुपये 1,50,000/–रूपयें एवं 84,000/– का बजट स्वीकृत किया गया था। रमेश गांधी का कार्यालय मार्च 1997 में समाप्त होने के उपरांत भी यह कार्यालय 08–5–1998 अर्थात 1 वर्ष 2– 3 माह तक इसी भवन में चलता रहा था। उप मु. चि. अधि. /14/भण्डार/ 98 /3215– 19 दिनांक 08–5–1998 में यह स्पष्ट है कि पूर्व में राजकीय भवन उपलब्ध नहीं था राजकीय भवन उपलब्ध होते ही दिनांक 08–1998 को उक्त कार्यालय राजकीय भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। रमेश गांधी जिला परिवार कल्याण ब्यूरों दौसा में मार्च 1995 से मार्च 1997 तक जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थापित थे। इस दौरान रमेश गांधी द्वारा जो भी कार्य निष्पादित किये गये वह जिला प्रबंधक के पद पर क्षमता व हैसियत से ही किये गये हैं। सर्वप्रथम तथ्य तो यह है कि अपीलार्थी के

द्वारा ना तो अपनी निजी हैसियत में कोई भवन किराये पर लिया गया और ना ही निजी कार्य हेतु कोई भवन किराये पर लिया गया। जिसके लिए अपीलार्थी को जिम्मेदार ठहराया जा सके। उक्त भवन को किराये पर लिये जाने के समय निष्पादित किरायानामे से भी प्रथम दृष्टया ही प्रकट और स्थापित होता है कि उक्त भवन को स्वयं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किराये पर लिया गया था। जिसका उपयोग–उपभोग भी उक्त विभाग के समस्त कर्मचारियों के द्वारा किया गया है। जिसकी पुष्टी भू–स्वामी के द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष दायर किये गये वादपत्र से भी होती है। जिसमें अपीलार्थी को पक्षकार के रूप में भी संयोजित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं उक्त प्रकरण में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपनी जवाबदेही में भी उक्त परिसर विभाग के द्वारा किराये पर लिया जाना स्वीकार किया है तथा इस बाबत अपीलार्थी के द्वारा किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरते जाने बाबत भी किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया है। विभाग के प्रतिनिधी के रूप में किये गये कार्यों में विभाग की लापरवाही के लिए प्रतिनिधी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त किराये का निर्धारण नहीं होने के कारण विभाग के द्वारा बिना किराये का भुगतान किये भवन को वर्ष 1998 में खाली कर दिया। जिस पर मालिक मकान ने न्यायालय में वाद पेश किया। जो वादी के पक्ष में तय किया गया। जिसका भुगतान वर्ष 2010 में विभाग के द्वारा किये जाने के पश्चात तीन वर्ष से भी अधिक अवधि के व्यतीत हो जाने पर भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण विभाग को 4,55,383 /– रूपये का अधिक भुगतान करने का कथन किया। जिस पर एक कमेटी का गठन कर उक्त कमेटी के द्वारा वर्ष 1995 से लेकर वर्ष 2010 तक की देरी के लिए एकमेव अपीलार्थी को जिम्मेदार ठहराया। इस प्रकार स्पष्ट है कि ना तो अपीलार्थी के द्वारा किराये के भवन का चयन किया गया और ना ही किराये का निर्धारण किया गया। इसलिए अपीलार्थी के सेवा से हटने के लगभग 16 वर्षों के बाद 8 गुणा दर से चुकाये गये समस्त किराये व उस देय ब्याज को चुकाये जाने का नोटिस अपीलार्थी को दिया जाना ना केवल कानून के विरूद्ध बल्कि सामान्य विपरीत होने से अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.20.16 पारित किया है जो विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर वसूली, जयपुर तहत उनवानी प्रकरण उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बनाम रमेश गांधी प्रकरण संख्या 1/2013–14 जिसके द्वारा प्रार्थी की धारा 8(3) राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस रिकवरी एक्ट के तहत पेश आपत्तियां में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2016 को निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।